1 35 मामला

## order Sheet [Contd]

Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

HODO ISY/M SPLETE Signature of Parties or Pleaders where necessa

12-11-16 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / कनिष्ठ यंत्री शोहद सहित उनके अधिवक्तः श्री जिन्हान क्रांक्ट उप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री जाड़ाट मिट उप0/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्यु विमाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत आंधेनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी एक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखाग्रह भेजा जावे।

डी०सी०थपेलियाल अ कियान भीकर पीडासीन अधिकारी खण्डपीठ क0-19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम विकास कार्य कार्य कर विकास गोहंद जिला भिण्ड क